संख्या– /XXXVIII/2015–24(वि0प्रौ0)/2013

प्रेषक,

दीपक कुमार
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उत्तराखण्ड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केन्द्र(यू–सर्क)
देहरादून।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अनुभाग देहरादून: दिनांक: 19 नवम्बर, 2015

विषय:– विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अन्तर्गत स्वायत्यशासी संस्था उत्तराखण्ड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केन्द्र (यू–सर्क) के संरचनात्मक ढांचें के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड राज्य को शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी बनाये रखने, आधुनिक एवं वैज्ञानिक शिक्षण की व्यवस्था एवं शोध कार्यक्रम प्रोत्साहित किये जाने के उददेश्य से शासन की अधिसूचना, संख्या 1963/XXXVIII (1)/183–वि0प्रौ0/05 दिनांक 04.10.2005 द्वारा उत्तराखण्ड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केन्द्र (U-SERC) का गठन किया गया था एवं शासनादेश संख्या– 297/XXXVIII/10–183/2005 दिनांक 21 जून, 2010 द्वारा केन्द्र में वैज्ञानिकों को प्रतिनियुक्ति/सेवानिवृत्त वैज्ञानिकों को संविदा के आधार पर रखे जाने की स्वीकृति दी गयी थी। वर्तमान में केन्द्र के उद्देश्यों के अनुरूप इसकी गतिविधियों को बढ़ावा दिये जाने के उद्देश्य के दृष्टिगत केन्द्र के पत्रांक संख्या–USERC/सचि0(ढांचा) 2015–16/1469 दिनांक 30.05.2015 द्वारा शासन को उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक बिचारोपरान्त श्री राज्यपाल महोदय उत्तराखण्ड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केन्द्र (यू–सर्क) के ढ़ाचे अनुमोदन प्रदान करते हुयें ढ़ाचें में निम्नानुसार पद स्वीकृत करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

क्र0 सं0	पद नाम	वेतनमान (ग्रेड पे)	स्वीकृत पद (सख्या)	अभियुक्ति
1	2	3	4	5
01	वरिष्ठ वैज्ञानिक (सीनियर ग्रेड)	Rs.15600-39100 (GP 7600)	02	• प्रतिनियुक्ति/पदोन्नति द्वारा।
02	वरिष्ठ वैज्ञानिक	Rs.15600-39100 (GP 6600)	02	• सीधी भर्ती/ प्रतिनियुक्ति/ पदोन्नति द्वारा।
03	वैज्ञानिक	Rs.15600-39100 (GP 5400)	03	• सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति/ पदोन्नति द्वारा।

	प्रोग्रामर	Rs.9300-34800 (GP 4200)	01	• सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति।
05	वैज्ञानिक सहायक	Rs.9300-34800 (GP 4200)	01	• सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति।
06	लेखाकार	Rs.9300-34800 (GP 4200)	01	• सीधी भर्ती/पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति।
07	सहायक लेखाकार	Rs.5200-20200 (GP 2800)	01	• सीधी भर्ती/पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति।
08	वरिष्ठ सहायक	Rs.5200-20200 (GP 2800)	01	• सीधी भर्ती/पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति।
09	कनिष्ठ सहायक/डाटा इन्ट्री ऑपरेटर	Rs.5200-20200 (GP 2000)	01	• सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति।
10	अनुसेवक	–	02	• आउटसोर्स के आधार पर।
11	सुरक्षागार्ड	–	03	• आउटसोर्स के आधार पर।
कुल पद			18	–

2– उत्तराखण्ड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केंन्द्र (U-SERC) के क्रियाकलापों का संचालन देहरादून से किया जायेगा।

3– शासन की अधिसूचना संख्या 1963/XXXVIII (1)/183–वि0प्रौ0/05 दिनांक 04.10.2005 द्वारा उत्तराखण्ड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केंन्द्र (U-SERC) का गठन करते हुये केन्द्र का कार्यालय देहरादून से संचालित किये जाने एंव यू–सर्क की कार्यकारिणी समिति के सदस्य सचिव को केन्द्र के निदेशक नामित किया गया है। इस शासनादेश द्वारा केन्द्र हेतु सृजित किये जा रहें पदों के अतिरिक्त निदेशक का पद अतिरिक्त है।

4– इस शासनादेश द्वारा सृजित किये जा रहे पदों की सेवा को विनिमित किये जाने, पदों पर भर्ती हेतु अर्हता/योग्यता निर्धारण हेतु केन्द्र द्वारा नियमानुसार सेवा नियमावली/सेवानियम प्रख्यापन हेतु प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराये जायेगा। नियमावली/सेवानियम पर शासन के अनुमोदनोपरान्त केन्द्र द्वारा विहित प्रकिया के अनुसार इन पदों को भरे जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

5– सृजित किये जा रहें पदों पर भर्ती हेतु सेवा नियम/नियमावली प्रख्यापन होने तक केन्द्र के गतिविधियों के संचालन हेतु शासनादेश संख्या–297/XXXVIII/10–183/2005 दिनांक 21 जून, 2010 द्वारा की व्यवस्था के अनुसार कार्यवाही की जायगी। उक्त व्यवस्था होने के उपरान्त शासनादेश दिनांक 21 जून, 2010 समाप्त/अतिक्रमित समझा जायेगा।

6— शासनादेश के कमाक—10 एवं 11 पर इंगित पदो पर आउटसोर्स के आधार पर उक्त पदों की संख्या की सीमा में ही नियमानुसार भरे जाने की कार्यवाही की जायेगी।

7— यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या—145NP/XXVII(5)/2015 दिनांक 07 नवम्बर, 2015 में प्राप्त सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(दीपक कुमार)
सचिव

संख्या— 561 /XXXVIII/2015—24(वि0प्रौ0)/2013 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
2. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. मुख्य स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
5. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. समस्त निजी सचिव, मा0 मंत्रीगण, उत्तराखण्ड सरकार।
7. महानिबन्धक, मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल।
8. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड।
9. निदेशक, सूचना विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
10. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून को इन्टरनेट पर प्रसारण हेतु।
11. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(ऋचा)
अनुसचिव